एफ एस परिवाद सं 04/2018

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

एफ एस परिवाद सं. 04/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये राजेश टिकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ0एस0ओ) कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर (राज0)

बनाम

अप्रार्थी

शंकरलाल कुमावत पुत्र भीमाराम कुमावत, मैसर्स कुमावत ट्रेडिंग कम्पनी धर्मकांटा बोरुन्दा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर। निवासी ग्राम पोल्ट कोवलिया खुर्द बाया अनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज0)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (zf) (C) (i) एवं धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 एवं 52 के तहत।

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।
2. अप्रार्थी की स्वयं।

आदेश दिनांक 28.03.2018

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प 1 (2) कार्मिक/क–4/04 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डीएम/कोट/रीडर/2012/1018 दिनांक 05.06.2012 के द्वारा तहसील पीपाड़ शहर के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं खाद्य सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी शंकरलाल कुमावत पुत्र भोमाराम कुमावत मैसर्स कुमावत ट्रेडिंग कम्पनी धर्मकांटा बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर ने Misbranded खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (zf) (C) (i) एवं धारा 26

की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना योगय अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवादी पेश करने का अमिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र नोटिफिकेशन अधिसूचना कार्यक्षेत्र प्रपत्र 5 ए नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, अधिग्रहण प्रारूप–2 अधिग्रहण आदेश प्रारूप–3 पहचान–पत्र, अनुज्ञा–पत्र, FSSAI नमुना ए.डी. 592 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद जांच रिपोर्ट फार्म बीसं 548, शंकरलाल कुमावत को लिखा पत्र 747 पेश किया।

उपरोक्त फर्म का निरीक्षण करने पर एक लकड़ी की रेंक में 20 सिल्ड पैक बोतल एक लीटर प्रसेक डबल फिल्टर्ड सरसों का तेल (डायमण्ड ब्रांड) रखा हुआ था। उक्त पदार्थ आम जनता को विक्रय वास्ते था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट एवं मिस ब्रांड का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु खरीद किया गया। बाजार भाव से रुपये 360/– नगद देकर डबल फिल्टर्स सरसों का तेल (डायमण्ड ब्रांड) के लीटर X 4 सिल्ड पैक बोतल नमूना जांच हेतु खरीद किया गया। और सीरियल नम्बर एडी 592 सील किया गया जाकर जांच हेतु लेब्रोरेटरी भेजा गया।

अमिहित अधिकारी उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर के पत्रांक 650–651 दिनांक 03.07.2017 के साथ संलग्न पांच मूल रिपोर्ट एलएस 549/एक्ट/2017/548 दिनांक 14.06.2017 के अनुसार उक्त डबल फिल्टर्ड सरसों का तेल (डायमण्ड ब्रांड) का नमूना FSSAI- License no Not given contravention of Regulation no 2.2.1 (7) of food safety and standards (Packaging and Labelling Regulations, 2011 के कारण मिथ्या छाप (Misbranded) होना पाया गया। अप्रार्थी शंकरलाल कुमावत को खाद्य अनुज्ञा–पत्र वाणिज्यक विभाग रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रति एवं खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिनांक 17.08.2017 को दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अतः एफएसएसए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है। एफएसएस एक्ट की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

हमने परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एलएस/549/एक्ट/2017/548 दिनांक 14.06.2017 द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त डबल फिल्टर्ड सरसों का तेल (डायमण्ड ब्रांड) का सेम्पल नमूना सं 549 जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप (Misbranded) होना।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी शंकरलाल कुमावत पुत्र भीमाराम कुमावत द्वारा खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम 2006 व नियम

2011 विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के तहत अवमानक तेल बेचने के दोषी है, जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजन रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के डर से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी शंकरलाल कुमावत पुत्र भीमाराम कुमावत, मैसर्स कुमावत ट्रेडिंग कम्पनी धर्मकांटा बोरुन्दा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर। निवासी ग्राम पोल्ट कोवलिया खुर्द बाया अनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज0) द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी शंकरलाल पर राशि रुपये 5000 / — अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उक्त शास्ती राशि राजकोष में जमा करवा कर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

(छगनलाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

क्रमांक : दिनांक : 04.2018

1. राजेश टिकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ0एस0ओ) कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर (राज0)
2. शंकरलाल कुमावत पुत्र भीमाराम कुमावत, मैसर्स कुमावत ट्रेडिंग कम्पनी धर्मकांटा बोरुन्दा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर। निवासी ग्राम पोल्ट कोवलिया खुर्द बाया अनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज0)